डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No.2017/HQ/Admin/RTI-**120**   ED590650014IN   New Delhi: 06.09.2017

प्रेषण
07 SEP 2017
प्रेषण सं0.......................
हस्ताक्षर.......................

Sh. Griraj Singh,
Village Nagla Gogul,
Bharan, Tehsil Etmadpur,
Distt: Agra
Uttar Pradesh-283 202.

Dear Appellant,

Sub: **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।**
Providing information under the RTI Act 2005

Ref:
1. Original application dt. 13.06.2017 received on 13.06.2017 through CPM/Tundla office from Shri Griraj Singh R/O Agra, U.P, replied on 11.07.17
2. His appeal dated 19.07.17 received on 21.07.17

संबंधित कार्यालय से प्राप्त उत्तर/received reply from the concerned office:

प्रार्थी को पूर्व में सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मॉगी गई बिन्दुवार सही व नियमानुकूल जानकारी इस कार्यालय के दिनांक 11.07.2017 के पत्र सं.2017/HQ/Admin/RTI-120 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा बार बार प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सूचना उपलब्ध कराये जाने एवं प्रतिकर राशि को बढ़ाये जाने की मॉग की जा रही है। डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रेल परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम बरहन के नगला गोकुल में अधिगृहीत भूमि पर अवस्थित मकानों का भुगतान सभी प्रभावित मकान स्वामियों के द्वारा (सिर्फ प्रार्थी को छोडकर) प्राप्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त भी आज तक मुआवजा प्राप्त करने हेतु कार्यालय अपर जिलाधिकारी भू0 अ0 आगरा के यहॉ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थी के सभी प्रश्नों का सही जबाब दिया गया है, और किसी प्रकार कोई उत्पीडन नही किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रतिकर धनराशि को बढ़ाये जाने की जो मॉग की जा रही है कि अनुचित एवं अविचारणीय हैं उपरोक्त के संबंध में आपकों पुनः अवगत कराया जाना है कि भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशन के माध्यम से डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रेल परियोजना द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु जिला आगरा में अपर जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी भू0अ0 आगरा को नामित किया गया है, एवं अपर महाप्रबंधक/मानव संसाधन के पत्र क्रमांक एचक्यू/एचआर/31 भूमि प्रभावितों दिनांक 24.04.2014 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रेल परियोजना से प्रभावित भू–स्वामियों के सेवायोजन का कोई भी प्रावधान नहीं है जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अतः प्रार्थी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मॉगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, चूंकि प्रार्थी को पूर्व सूचना उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में बार–बार प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जा रहे जो विचारणीय नहीं है।

~~कृपया~~ नोट करें कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमिहीनों को रेल परियोजनाओं में नौकरी देने से संबंधित दिशानिर्देश रेलवे बोर्ड के दि. 16.07.10 का पत्र सं.E(NG)-II/2010/RC/5/1 के द्वारा जारी किए गए हैं जो कि केवल रेलवे/रेलवे की उत्पादन इकाइयों पर लागू हैं न कि डी एफ सी सी आई एल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों (**Public Sector Undertakings like DFCCIL**) और अन्य इकाइयों पर। अतः प्रभावित भूमिहीनों को रेल परियोजनाओं में नौकरी देने की यह नीति डी एफ सी सी आई एल पर लागू नहीं है क्योंकि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र (**Public Sector Undertaking**) है।

इसके साथ ही आपकी उपरोक्त अपील का निस्तारण/निपटान किया जाता है।

Encl: As above

Kothari
07/09/2017

(सतीश कोठारी)
(Satish Kothari)
ग्रुप महाप्रबंधक/प्रशासन
GGM/Administration
email: skothari@dfcc.co.in

CC:CPM/Agra.